न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 219/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. स्वरूपाराम पुत्र माणकराम जाति नाई निवासी शैतानसिंहनगर तहसील लोहावट		1. तहसीलदार लोहावट

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- प्रार्थी अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह भाटी।

-:: निर्णय ::

दिनांक 28.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकारो की कब्जा काश्त भूमि ग्राम शैतानसिंह नगर पटवार हल्का शैतानसिंह नगर तहसील लोहावट के खसरा संख्या 182 रकबा 26.5473 हैक्टेयर कीस्म बारानी 4 व खसरा संख्या 8 रकबा 31.8973 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 कुल रकबा 58.4446 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थी का सही एवं वासत्विक नाम सवरूपारामपुत्र माणक राम है जो प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचानपत्र, जनआधार, राशन कार्ड, विद्युत विभाग बिल, पेन कार्ड मे दर्ज है।
प्रार्थी के पिता माणकराम की मृत्यु हो जाने पर माणकराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत किया गया जिसमे पटवारी हल्का शैतानसिंह नगर एवं राजस्वं कर्मचारीयो की भूल के कारण प्रार्थी का गलत एवं अशुद्ध नाम सकीराम पुत्र माणकराम दर्ज कर दिया गया जो गलत होने से शुद्धि योग्य है। प्रार्थी खसरा संख्या 182 रकबा 26.5473 हैक्टेयर कीस्म बारानी 4 व खसरा संख्या 8 रकबा 31.8973 हैक्टेयर कीस्म बारानी 4 कुल रकबा 58.4446 में अपना गलत नाम सकीराम को शुद्ध करवा कर सही एवं वास्तविक नाम सरूपाराम पुत्र माणकराम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।
प्रार्थी ने अपना गलत एवं अशुद्ध नाम सकीराम को शुद्ध करवा कर सही एवं वास्तविक नाम सरूपाराम करवाने का निवेदन तहसीलदार लोहावट को किया तो तहसीलदार लोहावट ने उपखण्ड अधिकारी से आदेश लाने को कहा जिस पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा पेश है ।
अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार लोहावट दुरुस्ती के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है जिन्होंने अपना जवाब पेश किया। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम सकीराम पुत्र माणकराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम सकीराम पुत्र माणकराम गलत है तथा सही व शुद्ध नाम सरूपाराम पुत्र माणकराम है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट ने बिन्दुवार जवाब पेश कर बताया कि गाम शैतानसिंहनगर पटवार हल्का शैतानसिंहनगर तहसील लोहावट के खेत ख.नं. 182 रकबा 26.54 है जो प्रार्थी का नाम सकीराम पुत्र माणकराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड,

Scanned with CamScanner

राशन कार्ड, परिचय पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम सकीराम पुत्र माणकराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम सकीराम पुत्र माणकराम गलत है तथा सही व शुद्ध नाम सरूपाराम पुत्र माणकराम करने की अनुशंषा की जाती है।
अधिवक्ता प्रार्थी कि प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बाद अवलोकन व मनन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शैतानसिंह नगर भूनिरीक्षक क्षेत्र शैतानसिंह नगर तहसील लोहावट मे स्थित खसरा संख्या 182 रकबा 26.5473 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 व खसरा संख्या 8 रकबा 31.8973 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 कुल रकबा 58.4446 हैक्टेयर भूमि मुतालिक प्रार्थी स्वंम 1/24 भूनि राजस्वं रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटी को दुरूस्ट किया जाकर प्रार्थी के गलत नाम सकीराम पुत्र माणकराम के स्थान पर सरूपाराम पुत्र माणकराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्ध नाम राजस्व रेकर्ड नें अमल दरामद करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.06.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लोहावट

Scanned with CamScanner